

पाँच
रुपये

पाँच
रुपये



सत्यमेव जयते

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

मनकि बृजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय डाक्टर स्याम किराहीठाठ श्रीवास्तव
 निवासी ४।८८ तिलक नगर शहर कानपुर स्वयं प्रथम पदा नं० २ एवं कंसिदित
 मुखार बांम भिनजानिव श्रीमती मन्कुल श्रीवास्तव पत्नी श्री रावेन्द्र कुमार
 श्रीवास्तव प्रथम पदा नं० २ इस पट्टे के है। तथा श्री विनय विष्णु सिंह पुत्र श्री
 हरिनाम सिंह निवासी ग्राम फेररा परगना फतेहपुर ८४ तहसील सफीपुर जिला
 उन्नाव इस पट्टे के द्वितीय पदा है।

वावे हों कि प्रथम पदा का बाला जिक्रा पुराना नगरपालिका
 नम्बर १६६ व २०० था जिक्रा मौजूदा नगरपालिका नम्बर २५५ व २५६ है
 उपरोक्त बाला को कि मौहल्ला सिविल लाइन बन्दर नगरपालिका उन्नाव में
 स्थिति है बाँर जिक्रा पहले मालिक सिविल सर्जन श्री काक साहब थे ने बस्त
 शिवराव ब्ही बल्द लाला शम्भुनाथ कायस्थ को बजरिये जेनामा रजिस्ट्री हुआ
 तारीख २६-९-१९०० को जेन दिया था जिक्रा रजिस्ट्री १२ फरवरी १९१६००
 को हुई थी यह बाला जिक्रा बग्गीशाना व जस्तक तानाथ मुँगीशाना व बाहपोला
 व अन्य इमारत बनी हुई थी बाँर को जाराजी नम्बर ५४६४ बन्दोस्त दीयम
 के रकबा ४ बीघा पर बना था जिक्रा मालिक श्री शिवराव ब्ही उपरोक्त थे

Brigandha Kuar
 Dhaikera Des 511

301209

511
 301209

उन्होंने बगला मय जन्यभारत व बाह पोस्ता तथा काले की मुठलिक बाराबी
बो कि हर तरफ बहार दीवारीसे धिरी दुई की को बाबू सातिकराम सिन्हा
सहबोकेट को बेव दिया था बाबू सातिकराम सिन्हा बो कि उसके वास्तविक
खरीदार थे ने उन्त बगला वगैरह मय बाराबी का बेनामा अपने एक मात्र पुत्र
डाक्टर श्याम बिहारी लाल श्रीवास्तव के नाम बेनामी बेनामा मे लिख दिया
था जबकि सारापैसा स्वयं बाबू सातिकराम सिन्हा ने अपनी निजी कमाई
से अदा किया था बाबू सातिकराम सिन्हा व डा० श्याम बिहारीलाल श्रीवास्तव
का स्वर्गवास हो गया उनके मरने पर उनके वारिसान मे तानदानी सम्पत्ति की
वस्तु तनावा पंदा हुआ और बादहू सब वारिसान के बीच तानदानी अफिया
हुवा जिसके अनुसार बगला नम्बर १६६ व २०० स्थिति सिविल ठाहन उन्नाव
के तनहा मालिक श्री बृजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव प्रथम पडा नं०१ करार पिर नये
बारे प्रथम पडा नं० २ का उपरोक्त बगला व उसकी बाराबी मे कोईक व
हिस्सा नहीं मिला लेकिन श्रीमती मन्जुल श्रीवास्तव का नाम डा० श्यामबिहारीलाल
श्रीवास्तव के मरने पर नगरपालिका उन्नाव मे दाखिल तारिक हो गया था ।
इसलिए उपरोक्त दोनों व्यक्तियों की बारे से पट्टा बनानी तहरीर किया जा रहा

Brijendra Kumar

Vivek Kumar

प्रथम पदा नं०२ ने प्रथम पदा नं०१ के एक में एक मुस्तारनामा रजिस्टरी हुआ तहरीर कर दिया है और प्रथमपदा नं०१ को पूरे अधिकार वाला नम्बर १६६ व २०० को मुन्तखिल करने का जारानी मुलदिक दे दिया जिसके अनुसार भी प्रथम पदा नं०१ को तनहा बेवने व पट्टा करने के एक प्राप्त है । प्रथम पदा नं०१ की इन्द्रेन्द्र कुमार श्रीवास्तव वाला मजदूर मय जारानी अपनी निजी रेहाइश के इस्तेमाल के लिए मुकदमा लडकर जरिये नदालत खाली करवाया है और उसमें - मालिकाना काबिल व वसील है और रेहाइश के लिए कब्जे में है वाला मजदूर की बनी हुई इमारत बहुत ही पुराने बमाने की होने की वजह से खस्ता हालत में हो गयी है और उसमें सपरल की जो इत पढी है वह सब केदार हींगवीर । इसलिये प्रथम पदा नं०१ उसको हटवाकर नये रूप से इसे छलवाना चाहता था और काले को नया रूप देना चाहता था जिस पर इन्जीन्यरी बजाटीटिन्वरी से सलाह नहीविरा कियागया उन सबने यह सलाह दीकि इमारती की बिन्दनी समाप्त हो चुकीहै और इस लायक नहीहै कि उसमें मरम्मत तर्मीम व फोरवर्ड करके मजदूर किया जावे उन्होने यह राय दी कि काले को गिरवाकर उसके बजाये नया बापुनिक डंग का काला बनवाया जावे और जो फाउण्डेरी भीन है उसको बजा कर दिया जावे उनकीराय को मुनासिब मानकर और अपना हित लाभ देखकर प्रथम पदा ने नया काला ही बनाना मुनासिब समझा औरफाउण्डेरी भीन को काले की कहारदीवारी के बन्दर है उसमें प्रथम पदा ने दोटे दोटे म्हाळा बनवाए जो कि प्रथम पदा द्वारा बनवाए गये प्रोप्रीट ननसे के अनुसार १ उमावत ३२ है । जिसमें से उन्नाव हरदोई रोड से भिजा हुआ मुख्य फाउण्डेरी जो इस समय है उसके पुरव व पश्चिम का म्हाट जिसका प्रोप्रीट म्हाट नं० १ छपक्यवण्डर को जाने लिए रात छोडा है उस पर वह अपना मकान बनवाये ।

Benjender Kisan

Dr. N. K. Sharma

द्वितीय पदा स्वर्गीय श्री साधिका राम सिन्हा एडवोकेट उन्नाव के जूनियर वकील हैं और उनसे अच्छे सम्बन्ध रहे हैं तथा प्रथम पदा के भी उनसे अच्छे घरोल सम्बन्ध रहे हैं द्वितीय पदा ने अपने रेहाइशी मकान बनाने हेतु प्रथम पदा से अपनी इच्छा बाहिर की और यह चाहा कि प्रथम पदा अपने उपरोक्त काले की भूमि में बनाये गये प्लॉटों में से दो प्लॉट उसे दे देवे उनके इस अनुरोध को प्रथम पदा ने मज्जी भाति विचार करके स्वीकार कर लिया और प्रथम पदा द्वितीय पदा के एक से निम्नलिखित शर्तों के बाबत पर काला नम्बर १६६ व २०० के अन्दर बनाये गये निजी प्लॉट नम्बर १० व ११ किसकी चौहद्दी लम्बाई चौड़ाई नीचे दी जाती है द्वितीय पदा को पट्टा दबानीपर दे दिया और इस पट्टा दबानी को द्वितीय पदा ने स्वीकार करके दोनों पदा नीचे लिखी शर्तों के पाबन्द होते हैं :-

Prinjees Kumar

१- यह कि द्वितीय पदा को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त पट्टे पर दिए गये प्लॉटों पर अपना मकान पोखा या बाम किस प्रकार से चाहे अपनी इच्छानुसार नगरपालिका उन्नाव विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गये नियमों का पालन करते हुए बनवासेगा प्लॉट मकहूर में द्वितीय पदा अपनी मर्जी के माफिक फुलवाडी भी ला सकेगा ।

Prinjees Kumar

बिस्का कि द्वितीय पदा पूर्ण मालिक रहेगा ।

२- यह कि जो इमारत फुलवाडी चहार दीवारी व उसकी बाराजी को व उसके सम्बन्धित भूमि को मुन्तकिल करने का पूर्व अधिकार द्वितीय पदा व उसके कायम मुकामान व वारिसान को होगा ।

३- यह कि उपरोक्त प्लॉटों की भूमि में द्वितीय पदा को कोई अधिकार प्राप्त न होगा कि वह उसमें खेती करावे या बाग लगावे ।

४- यह कि द्वितीय पदा व उसके कायम मुकामान व वारिसान को प्लॉट मकहूर की बाराजी की जास्त को अधिकार इस पट्टा दबानी द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं।

उनको वह मुन्तकिल जरिये बेनामा लिखानामा कसीयतनामा व अन्य कायुनी
 वापार पर मुन्तकिल कर सकता है उसमे प्रथम पदाव उनके वारिसान व कायम
 मुकामान को कोई अधिकार आपत्ति करने का प्राप्त न होगा । और प्रथमपदा
 व उनके वारिसान व कायम मुकामान को प्लाट मन्कर से बेदखल करने का अधिकार किसी
 भी रूप से प्राप्त न होगा ।

Ranjiv Kumar

५- यहकि प्लाट नम्बर १० व ११ की बाराबी के अलावा अन्य किसी प्लाट
 की बाराबी पर द्वितीय पदा न तो कोई अतिश्रमण करेगा और न ही उसको
 एक बालायत ही हासिल होगा । द्वितीय पदा अपने प्लाट व मकानव फुलवाडी व
 अन्य इमारतका गन्दा इस्तेमाली पानी प्रथम पदा के अन्य किसी प्लाट पर
 न धायेगा और न निकालेगा । द्वितीय पदा को इसकाव का एक हासिल होगा
 कि वह अपने मकानो का गन्दा व इस्तेमाली व बरसाती पानी प्लाट मन्कर के
 मिले हुए रास्तो कीनालीसे बहा सकेगा ।

Vijay Verma

६- यह कि काला मन्कर मे प्लाटो के लिए जो रास्ते प्रथम पदा द्वारा बाम्ब
 रफ्त के लिए बनाये गये है उनके इस्तेमाल करने का एक अन्य सभी प्लाटधारो
 के साथ द्वितीय पदा को होगा यह रास्ते निजी प्लाट धरो के लिए छोडे गये है।

७- यह कि प्लाट मन्कर व अन्य जगहो पर द्वितीय पदा को कोई अधिकार
 अग्रस्तान , मकबरा या समाधि बनाने का प्राप्त न होगा ।

लिहाजा प्रथम पदा अपनी सचेत व सजान व सही पदा मे हुए
 सौब समझकर उपरोक्त पटटा दवापी लिखर द्वितीय पदा को जान की तिधि
 है निजी प्लाट नम्बर १० व ११ रकबा ४८०० वर्गफिट जिनकी चौधपी तथा
 लम्बाई चौडाई निम्न है को कब्जा वाकई देदिया जिसे द्वितीय पदा ने सहर्ष
 कबूल व मन्कर कर लिया लिख दियाकि सनद रहे और समय पर काम जावे । --

बौद्धी व पंमाईस फ्लॉट प्रॉब्लेट नम्बर १० व ११ स्थिति सिविल लाइन
उन्नाव जिल्हा नगरपालिका जो बन्दर बहार दीवारी काला नम्बर १६६व२००
स्थिति बाराबी नम्बर बाब बाबन्दी ४१७३ है ।

पूरव - प्रॉब्लेट फ्लॉट नम्बर १२ प्रथम पदा

पच्छिम - प्रॉब्लेट रास्ता २० फिट चौडा बाबू फ्लॉट नम्बर ८ व ९

उत्तर - प्रॉब्लेट फ्लॉट नम्बर ५ निरंकारी मण्डल तथा फ्लॉट नं० ३ प्रथम पदा

दक्षिण - प्रॉब्लेट रास्ता १५ फिट बाबू फ्लॉट नम्बर १६ व १७

पंमाईस फ्लॉट नम्बर उपरोक्त

लम्बाई उत्तर से दक्षिण ६० फिट पूरव से पच्छिम ८० फिट

Brijendakum

लेख तिथि :- ३-१०-१९८६ ई० ।

टाइपकर्ता - हन्तिवार जहमद कबेरी उन्नाव ।

मसविदा बनाया - श्री लक्ष्मी नारायण निगम रहबोस्ट, उन्नाव ।

Lakshmi Narayan Nigam
Awtale

Brijendakum

Vijay Kumar

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

कमल को बुझाना में कल तब
पडा - Rm मुना

Sup
Gj

विकास काल संख्या 3000 नं० काग लम्ब लम्बाई
श्री वृजेन्द्र कुमार जीवम तब विंडांश्या विंडा विंडा विंडा विंडा
निवासी 4/86 तिलक नगर राहदर खानपुर तहसील
व विना उपाय ने कार्यालय त०१० उपाय में जाय ता०
विंडा लम्ब 9 व 2 के प्रत्युप विंडा।

Banjardha Kumar


4.10.86

विकास काल संख्या 3000 नं० काग लम्ब लम्बाई
श्री वृजेन्द्र कुमार जीवम तब विंडांश्या विंडा विंडा विंडा विंडा
निवासी 4/86 तिलक नगर राहदर खानपुर तहसील
व विना उपाय ने कार्यालय त०१० उपाय में जाय ता०
विंडा लम्ब 9 व 2 के प्रत्युप विंडा।

4.10.86

Banjardha Kumar

4.10.86
Vijay Kumar



TSh
L

Vijay Kumar

TSh

TSh

4.10.86

रसीद नम्बर- 45

बुक नम्बर 39

- रसीद -

कार्यालय-उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण, उन्नाव

मांग रजिस्टर नम्बर-

जमाकर्ता का नाम श्री विजय प्रताप सिंह 510 की दर-नया सिट्ट

रुपये [शब्दों में] रु. दस हजार रुपये 12 पैसे मात्र

बावत श्रम शुल्क

प्लॉट/भवन संख्या मोहल्ला विजय प्रताप निवास कांठ

किस अवधि के लिए

पूरा/आंशिक भुगतान

रुपये 10,000/- = 12 only

दिनांक 08-11-90

रुपया रु. दस हजार रुपये मात्र (शब्दों में)

दिनांक 08-11-90



दि 20 INDIR 20

कंशियर

उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण,
उन्नाव ।

सचिव,
उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण,
उन्नाव ।

सेवा में,

श्री विजय-विक्रम-सिंह पुत्र श्री हरनाथ सिंह
ग्राम पैसा-पूजा-पन्हेपुर-दीरसी
तहसील सफ़ीपुर विधा-उन्नाव

पत्रांक 243

/८७-८८/वि० प्रा०/


दिनांक : 21-11-90

महोदय,

मोहल्ला सिविल बाइन उन्नाव में भवन निर्माण के लिये प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सूचित करना है कि आपको मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है :—

- १- कोई भी निर्माण कार्य सरकारी/नगर पालिका/नजूल प्राधिकरण की भूमि पर नहीं किया जायगा ।
- २- वर्तमान भारतीय इलेक्ट्रीसिटी नियमों का उलंघन नहीं किया जायगा ।
- ३- दी गई स्वीकृति का सम्बन्ध केवल भूमि के मालिकानों से ही होगा ।
- ४- सभी निर्माण उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९७३ के प्राविधानों के अंतर्गत किया जायगा ।
- ५- भवन निर्माण की स्वीकृति मानचित्र की वैधता तीन वर्ष के लिये है ।
- ६- भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व तथा समाप्ति के बाद इस कार्यालय को सूचित करें ।
- ७- भवन मानचित्र को स्विकृत से इस कार्यालय का एक हस्तिल-ही होगा

भवदीय



सचिव

उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण
उन्नाव ।